॥ उपखण्ड कठूमर जिला अलवर

2/179/2022 तारीख रजू.................

राहुल बनाम थानसिंह वगैरा

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
2022	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकील सायला ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के, पक्ष में बखूबी सावित है। अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी खसरा नं. 78, 84, 88, वाके ग्राम दयालपुर एवं आराजी खसरा नं. 729, 738, 582, 176, 181, 187, 190, 391, 400, 410, 413, 418, 431, 439, 441, 445, 445, 448, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 604, 631, 7332,वाके ग्राम कांकरोली तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात में रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। चूंकि एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है ऐसे में अप्रार्थी में सें किसी के उपस्थित होकर वहस के लिऐ कहने पर वकील प्रार्थीगण को अनिवार्यत बहस करनी होगी, अन्यथा एक्सपार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समक्षा जावें। अप्रार्थीण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 18.07.2022 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थी जरिये रजि0 डाक नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 18.07.2022 को वास्ते तलबी अप्रार्थी पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
.../22	...... उपरिस्थित सहिक ...... 1.7.22 की पारस्थ ...... की ...... [signature] दिनांक 27/9/22	

तारीख
इस हुक्म
जारी हुए

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता[illegible] अहकाम जो [illegible] की तामील में [illegible]
8.5.25	कार्यवाही उपस्थित। सायल द्वारा प्रस्तुत प्रा० पत्र के आशय तथ्य प्रकार से हैं कि उक्त आराजी ग्राम कोलौली में स्थित है। सायल व गैरसायल सं० 1 एक ही संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य हैं विवादित आराजी सायल के दादा की पैदा करी आराजी होने से पैतृक आराजी है जिस पर अपने हिस्से पर काबिज रहकर काश्तकार रहे हैं जिससे खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी हैं। गैरसायल-1 को खातेदारी दर्ज रहने से सायलान के हक हकूकों पर विपरीत असर पड़ रहा है जबकि गैरसायल ऐसा करने का अधिकारी नहीं है। गैरसायल अपने नाम पाक [illegible] के अभाव हो गये तो नाबालिग सायलान तबाह व [illegible] हो जायेंगे जिसकी पूर्ति पैसों से संभव नहीं है। गैरसायल को पाबन्द करने का निवेदन किया गया है। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 5.1.25 को गैरसायल पाबन्द वकील उपस्थित नहीं आये उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्ता सायल की एकपक्षीय बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता सायल ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। यदि गैरसायल को पाबन्द नहीं किया गया तो गैरसायलान को उक्त आराजी से बेदखल कर सकते हैं मगर गैरसायलान को पाबन्द किये जाने से उन्हें किसी तरह का नुकसान क्षति या असुविधा होती हो इस तरह की स्थिति अदालत के समक्ष नहीं है।	

राहुल बनाम भानसिंह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रथम दृष्टया केस सुविधा का सन्तुलन एवं न पूर्ति होने वाली क्षति तीनों बिन्दु सायल के पक्ष में बखूबी साबित है। अतः प्रार्थना पत्र 39 R1,2 सायल स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को ता फैसला मिसल अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। पत्रावली पर पूर्व में जारी को आदेश दिनांक 1.7.22 को ता फैसला मिसल तक जारी किया जाता है। पत्रावली मिसल हुक्म देकर नम्बर से कम हो वाद तकमील कुल वाद के साथ शामिल रहे। हुक्म 05/07/22 S.D.O. उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	